

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०



प्रार्थना पत्र सं० 107/2023

ICICI Home Finnce Company Limited, Registered Office- ICICI Home Finnce Company Limited, Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara, Gujrat-390007 Branch Office- ICICI Home Finnce Company Limited, 1 st Floor, Shop No.46 to 49, Lakshmi Complex, M.I.Road, Subhash Marg, C-Scheme, Jaipur-302001 through Authorised Officer Name Singh.

...प्रार्थी

बनाम

1. Mr. Kishan Lal Gurjar s/o Mr. Lakshmi Narayan Gurjar

(Applicant/Borrower & Mortgagor)

Address 1- Gurjar Mohalla, Syalawas Kalan, Bandikui, Dausa Rajasthan-303313

Address 2- M/S Shyam Garments Railway Station Road, Bandikui, Dausa Rajasthan-303313

Address 3- Khasra No. 122/3, Haal 68 to 72, Bandikui District Dausa Rajasthan- 303313

2. Tofli devi

(Co Applicant)

Address 1- Khasra No. 122/3, Haal 68 to 72, Bandikui District Dausa Rajasthan- 303313

Address 2- Ambedkar Moorti ke Peeche, Ward No.4, Kuti Bandikui Syalawas Kalan, Bandikui, Dausa Rajasthan-303313

.....अप्रार्थीगण

प्रा० पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

उपस्थिति : श्री भवानी सिंह नरुका, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश


दिनांक: 28.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आई०सी०आई०सी०आई० होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 26,30,000/- (रुपये छब्बीस लाख तीस हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आई०सी०आई०सी०आई० होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आई०सी०आई०सी०आई० होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी आई०सी०आई०सी०आई० होम

निरंतर 2 पर




जिला कलेक्टर, दौसा

फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री किशन लाल गुर्जर पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर की आवासीय संपत्ति खसरा नंबर 122/3 हाल 68 से 72, वार्ड सं० 4, श्यालावास कुटी बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान पर स्थित एवं निर्मित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1342.66 वर्गगज अर्थात 12084 वर्गफीट है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आई०सी०आई०सी०आई० होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा